

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा (उ०प्र०)

संख्या नोएडा/मु०वा०नि०/2014/ IV-1372 / 751

दिनांक: 10/09/2014

सेवा में,

मैमर्स वेब मेगा सिटी सेंटर प्रा० लिमिटेड,
सी - 01, सेक्टर - 03,
नोएडा (उत्तर प्रदेश)

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2014 संदर्भ में वाणिज्यिक भूखण्ड सं० सी०सी०-01, के अन्तर्गत नियोजित पाकेट सं० 2ए, 2बी, 2सी, व 2डी, सेक्टर-25ए एवं 32, नोएडा के पुनरीक्षित भवन मानचित्रों की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाइन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।





15. उत्तर प्रदेश अगार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईडोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हायरिस्टम/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
17. यह स्वीकृति वाणिज्यिक भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्तों/लीज डीड की शर्तों/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली-2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
18. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में सम्पूर्ण परिसर के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग तथा उसके सपोर्टिंग यूज में अनुमन्य क्रियायें एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
19. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर कियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी।
20. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना के क्रियान्वयन एवं पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्दर परियोजना पूर्ण करनी होगी।
21. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभाग में लाया जायेगा।
22. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिको एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैंड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिको, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
23. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अधारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
24. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधायें, अवस्थापना सुविधायें, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
25. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लॉटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।

26. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
27. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन सेवायें एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जज, टैक्स, लेवी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित हैं।
28. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने ध्यान पर करना होगा।
29. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी।
30. प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट का उपयोग नौएडा महायोजना-2031 में वर्णित परिभाषा एवं निर्धारित अनुमन्य भू-उपयोग के अनुसार ही करना होगा।
31. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मुख्य बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2013 के अनुपालन में पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र० से पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण की भू-गर्भ जल सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा तथा उक्त दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्रों के नियमों / शर्तों / प्रतिबंधों का परियोजना के अन्त तक पूर्णतः पालन करना होगा।
32. सन्दर्भित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहबाद में एक याचिका सं० 8567 (M/B) of 2012 एवं योजित है जोकि वर्तमान में निर्णय हेतु लम्बित है तथा एक अन्य एक याचिका सं० एस०एल नं० 024740/2008 नरेन्द्र सिंह बनाम एल०एम०सी० माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। सन्दर्भित दोनों याचिकाओं के सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा वह आबंटी संस्था को मान्य होगा।
33. यह स्वीकृति मा० इलाहबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में विचाराधीन याचिका सं० 8567/2012 के अन्तिम निर्णय के अधीन मान्य होगा।
34. पुनरीक्षित भू-विन्यास मानचित्र की स्वीकृति सं० नौएडा/मु०वा०नि०/2013/672 दिनांक 27.06.13 को प्रतिस्थापित करते हुए पुनः यह नयी स्वीकृति दिनांक 30.04.2014 निर्गत की गयी है।
35. यह स्वीकृत योजना स्थल के पत्रांक नौएडा/मु०वा०नि०/2014/732, दिनांक 30.04.2014 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित भू-विन्यास मानचित्र की शर्तों/प्रतिबंधों साथ लागू करते हुए प्रभावी/मान्य होगी।

पुनरीक्षित स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

पुनरीक्षित भू-विन्यास मानचित्र

1. योजना के ब्रोशर, आवंटन एवं पट्टा प्रलेख के अनुसार विवरण:-

- भूखण्ड का क्षेत्रफल - 6,18,952.75 वर्ग मी०
- अधिकतम अनुमन्य भू-आच्छादन क्षेत्रफल - 45%
- अधिकतम अनुमन्य एफ०ए०आर० - 4.5
- सेट बैक - भवन विनियमावली-2010 के अनुरूप
- अधिकतम ऊँचाई - कोई सीमा नहीं
(सम्बन्धित अनापत्ति की शर्त पर)
- आवासीय उपयोग हेतु क्षेत्रफल - अनुमन्य एफ०ए०आर० का अधिकतम 27%
- योजना को पूर्ण करने हेतु समय - पट्टा प्रलेख की तिथि 02.09.2011 से 10 वर्ष

  

- भूखण्ड के उप विभाजन की सीमा - (न्यूनतम 8000 वर्ग मी० क्षेत्रफल)
- आवंटी संस्था को एम० पी० रोड-2 पर सेक्टर 25ए एवं 32 के मध्य में अन्डरपास का निर्माण करना अनिवार्य है।
- आवंटी संस्था को योजना के लिए आवश्यक पार्किंग के अतिरिक्त भूखण्ड के पूर्वी क्षेत्र पर मेट्रो के लिए 2500 कार पार्किंग का निर्माण करना अनिवार्य है।

सन्दर्भित भूखण्ड, कामशियल कामप्लेक्स के अन्तर्गत व्यवसायिक गतिविधि यथा शॉपिंग माल, शोरूम, रिटेल आऊटलेट, होटल, रेस्टोरन्ट्स, ऑफिसज एवं अन्य समान वाणिज्यिक उपयोग एवं अनुमन्य एफ०ए०आर० का अधिकतम 27% आवासीय क्षेत्र विकसित करने हेतु आवंटित किया गया।

- आवंटी द्वारा प्रस्तावित ले-आऊट प्लान में भू-आच्छादन, एफ०ए०आर०, आवासीय क्षेत्रफल का विकास, पार्किंग, हरित क्षेत्र, सेट बैक, सर्विसेज, ट्रैफिक प्लान, साइट एनालिसिस एवं शारीरिक असक्त व्यक्तियों के लिये उनकी आवश्यक सुविधारे, सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए अवरोध मुक्त परिसर के विकास हेतु प्रस्तावित प्राविधानों का विवरण निम्नवत् है -

	Permissible	Sanctioned	Proposed
F.A.R	4.5	4.48%	4.48%
G.C	45%	43.96%	43.96%
%Residential (Max)	27%	26.93%	26.93%
%Commercial(Min)	73%	72.53%	72.53%
Land use in residential	Group Housing	Group Housing	Group Housing
Land use in commercial	Retail, Offices, Hotel, Serviced appt., Multiplex etc.	Retail, Offices, Hotel, Serviced appt., Multiplex etc.	Retail, Offices, Hotel, Serviced appt., Multiplex etc.
% Land Scaping	As per table 5	50% of open area	50% of open area
Car Parking	As per table 5	50161	51637.00
Max. Height	No. limit	228.80 M	228.80 M
Max. No. of Basements	No. limit	04	04

2. भूआच्छादन/एफ०ए०आर० विवरण :

- भूखण्ड का क्षेत्रफल - 6,18,952.7500 वर्ग मी०
- अनुमन्य भू-आच्छादन क्षेत्रफल @ 45% - 2,78,528.7375 वर्ग मी०
- प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल - 2,72,120.00 वर्ग मी० (43.964%)
- अनुमन्य एफ०ए०आर० @ 4.5 - 27,85,287.375 वर्ग मी०
- प्रस्तावित एफ०ए०आर० - 27,70,097.000 वर्गमी०(4.475)

3. आवासीय क्षेत्र का विवरण :

- भूखण्ड का क्षेत्रफल - 6,18,952.75 वर्ग मी०
- अनुमन्य एफ०ए०आर० @ 4.5 - 27,85,287.375 वर्ग मी०
- अनुमन्य आवासीय क्षेत्रफल @ 27% - 7,52,027.59 वर्ग मी०
(अनुमन्य एफ.ए.आर. का)
- प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रफल - 7,49,956.00 वर्ग मी० (26.92%)

4. पार्किंग विवरण :

- योजना में आवासीय, रिटेल, व्यावसायिक, सर्विस अपार्टमेंट्स, ऑफिस, होटल, मनोरंजन एवं मल्टीप्लेक्स उपयोग हेतु आवश्यक पार्किंग स्थल की आवश्यक - 47,057 पार्किंग स्थल
- योजना के लिए ब्रोशर व पट्टा प्रलेख में नियम एवं शर्तों के अनुसार मेट्रो के लिए आवश्यक पार्किंग स्थल - 2500 पार्किंग स्थल
- योजना के लिए कुल आवश्यक पार्किंग स्थल - 49557 पार्किंग स्थल

5. प्रस्तावित पार्किंग स्थल :

- प्लेडियम में पार्किंग स्थल की व्यवस्था तहखाना (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) - 18,235 पार्किंग स्थल
- पार्किंग स्थल की व्यवस्था - 29013 पार्किंग स्थल
- तहखानों में मैकेनिकल पार्किंग की व्यवस्था - 4296 पार्किंग स्थल
- कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल - 51,544 पार्किंग स्थल

6. हरित क्षेत्रफल का विवरण:

- भूखण्ड का क्षेत्रफल - 6,18,952.75 वर्ग मी०
 - प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल - 2,72,120.00 वर्ग मी०
 - खुला क्षेत्रफल - 6,18,952.75 - 2,72,120.00 - 3,46,832.75 वर्ग मी०
 - हरित क्षेत्र की आवश्यकता @ 50% खुला क्षेत्रफल का - 3,46,832.75 - 1,73,416.375 वर्ग मी०
 - प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल - 1,92,747.00 वर्गमी (55.58%)
 - कुल पौधों की आवश्यकता - 3,46,832.75
 - पौधा प्रति 100 वर्ग मी० खुले क्षेत्रफल 100
- = 3468.33 = 3469 पौधे

आवंटी संस्था ने कुल 3470 पौधे प्रस्तावित किये हैं जिनमें से 50% लम्बी अवधि के दर्शाये हैं ।



पॉकेट 2ए, 2बी, 2सी, एवं 2डी के लिए विभिन्न तलों पर किये गये पुनरीक्षित क्षेत्रफल का तलवार विवरण:-

तल एफ.ए.आर.	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल / एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)	पुनरीक्षित क्षेत्रफल / एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)
पोडियम - 1 (एफ.ए.आर.) वाणिज्यक	सम्पूर्ण भूखण्ड पर स्वीकृत 2,78,528.7375 ले-आउट के अनुसार	5821.69	15201.13
पोडियम - 2 (एफ.ए.आर.) वाणिज्यक		4376.64	16200.01
तहखाना - 1 (एफ.ए.आर.) वाणिज्यक			16149.28
तहखाना - 2 (एफ.ए.आर.) वाणिज्यक			15609.54
तहखाना - 3 (एफ.ए.आर.) वाणिज्यक			15532.70
कुल वाणिज्यक क्षेत्रफल आवासीय के अन्तर्गत		10,198.33	78,692.66
भूतल	शेष एफ०ए०आर०	10889.68	10876.23
प्रथम तल		10541.02	10531.14
द्वितीय तल		10239.65	10229.77
तृतीय तल		10239.65	10229.77
चतुर्थ तल		10239.65	10229.77
पंचम तल		10239.65	10229.77
छटवां तल		10239.65	10229.77
सातवां तल		10239.65	10228.49
आठवां तल		10239.65	10229.77
नौवां तल		10239.65	10229.77
दसवां तल		10239.65	10229.77
ग्यारहवां तल		7790.30	10229.77
बारवां तल		7790.30	10229.77
तेरहवां तल		7162.54	10229.77
चौदहवां तल		7162.54	10229.77
पन्द्रहवां तल		7162.54	7920.62
सोलहवां तल		7162.54	7921.90
सत्रहवां तल		7162.54	7921.90
अट्ठारहवां तल		7162.54	7921.90
उन्नीसवां तल		7162.54	7921.90
बीसवां तल		7162.54	7921.90
इक्कीसवां तल		7162.54	7921.90
बाइसवां तल		7162.54	7152.66
तीइसवां तल		7162.54	7151.38
चौबीसवां तल		7162.54	7152.66

फि [Signature] [Signature]

पच्चीसवां तल		7162.54	7152.66
छब्बीसवां तल		7162.54	7152.66
सत्ताइसवां तल		4360.42	7152.66
अट्ठाइसवां तल		4090.09	7152.66
उन्नीसवां तल		3588.01	7152.66
तीसवां तल			7152.66
इक्कीसवां तल			7152.66
बत्तीसवां तल			7152.66
तीलीसवां तल	शेष एफ०ए०आर०		4350.54
चाँतीसवां तल			4350.54
पैंतीसवां तल			4350.54
छत्तीसवां तल			2987.08
सैंतीसवां तल			2639.50
अड़तीसवां तल			1536.52
कुल आवासीय क्षेत्रफल		2,41,482.17	3,08,737.82
कुल एफ०ए०आर० (वाणिज्यक क्षेत्रफल सहित)	27,85,287.375	2,41,482.17 + 10,198.33 = 2,51,680.50	3,08,737.82 + 78,692.66 = 3,87,430.48
सेवा क्षेत्रफल 15% के अन्तर्गत		36,791.78	48,665.73
तहखाना प्रथम तहखाना द्वितीय तहखाना तृतीय तहखाना पोडियम - 1 पोडियम - 2	सेटबैक छोड़ने के पश्चात शेष क्षेत्रफल (पार्किंग/सर्विसेज हेतु)	44241.18 40572.47 45274.72 26680.30 28125.35	28589.98 26012.80 26438.15 14409.91 14578.23
सेवा तल			
सेवा तल - प्रथम		12991.06	...
सेवा तल - द्वितीय		8904.19	...
सेवा तल - तृतीय		8904.19	...
नॉन एफ.ए.आर (सेवा सहित)		2,52,485.24	1,58,694.80
कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (एफ०ए०आर० तथा नॉन एफ०ए०आर सहित)	= 2,51,680.50 + 2,52,485.24 = 5,04,165.74 वर्ग मीटर		
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल (वाणिज्यक क्षेत्रफल, एफ०ए०आर० तथा नॉन एफ०ए०आर सहित)	= 3,87,430.48 + 1,58,694.80 = 5,46,125.28 वर्ग मीटर		





- प्रस्तावित मू-आच्छादन क्षेत्रफल = 16,641.40 वर्ग मी० (2.688%)
- प्रस्तावित एफ०ए०आर० = 3,87,430.41 वर्ग मी० (13.90)

Map for proposed Building is not given. Byd
Lanes submitted for approval Please.



P. Asstt.



Asstt. Archt.

Archt.

नाम.....
पद.....
मुख्य नोएडा

10/9

प्रतिलिपि:-

- महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।